फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

सरकार बनाम भौरीलाल वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या : 213/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28.11.2024	पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार (तहसीलदार जमवारामगढ) उपस्थित। पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 01.04.2019 की पालना में ग्राम गुढावास नेवर में स्थित गत खसरा नम्बर 22 वर्तमान खसरा नम्बर 24 कुल रकबा 1.31है0 में से खसरा नम्बर 270/24 रकबा 0.10है0 नामान्तकरण सं0 140 दिनांक 23.09.2021 से खातेदारी से सिवायचक बिना लगानी (गै0मु0रास्ता) स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शें में दर्ज हो चुकी है। पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, प्रतिवादीगणों के जवाब, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय, तहसीलदार आधी की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं बहस का मनन करने पर पाया कि वाद में चाहा गया अनुतोष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना में राजस्व नक्शा व रकबा अलग होकर इन्द्राज हो चुका है। अत: अब इस वाद पत्र को आगे चलाने को कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अत: पैरोकार सरकार (तहसीलदार) द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति होकर दफ्तर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ	